न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.—199 / 2019

1. लीलाधर पुत्र श्री बनवारी जाति अहीर निवासी मदनसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज।

..........प्रार्थी

1. कन्हीराम पुत्र जोधाराम
2. अजीत पुत्र रामजीलाल
3. कमला पुत्री स्व. रामजीलाल
4. बिमला पुत्री स्व. रामजीलाल
5. संतलाल पुत्र रामजीलाल
6. कमलेश पुत्री स्व. रामजीलाल

} जाति अहीर निवासी मदनसर तहसील बुहाना,झुन्झुनू

7. कान्ता पुत्री स्व. बाबुलाल पौत्री स्व. रामजीलाल
8. पूनम पुत्री स्व. बाबुलाल पौत्री स्व. रामजीलाल
9. राजेश पुत्री स्व. बाबुलाल पौत्री स्व. रामजीलाल
10. पिंकी पुत्री स्व. बाबुलाल पौत्री स्व. रामजीलाल
11. बर्फी पत्नी स्व. बाबुलाल पुत्रवधु स्व. रामजीलाल
12. बाबुलाल पुत्र स्व. बाबुलाल नवीरा स्व. रामजीलाल

} जाति अहीर निवासी मदनसर तहसील बुहाना,झुन्झुनू

13. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होलडर तहसीलदार बुहाना।

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अर्न्तगत धारा 251 राज0 कास्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांक :— 17.11.2021

(1). प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा किः—

1. यह कि वाके ग्राम मदनसर तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 217 / 52 रकबा 0.63 है., के एकल खातेदार काश्तकार आवेदक दर्ज रिकॉर्ड है।
2. यह कि आवेदक अपनी उक्त आराजियात खसरा नम्बर 217 / 52 रकबा 0.63 है., भूमि में मकानात बना कर निवास करता है। तथा इसी भूमि से सट कर खसरा नम्बर 216 / 52 है जिसकी सीमा पर एक विद्युत चाह बना हुआ है। जिसके खसरा नम्बर 50 व 51 है जो आवेदक व उसके भाईयों का शामलाती है।
3. यह कि आवेदक के खेत खसरा नम्बर 217 / 52 रकबा 0.63 है., मे बने मकानात व कुए पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है जिसके अभाव में आवेदक को फसल बुवाई के समय मकानों में आने जाने, गाड़ी जीप कार ट्रेक्टर आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या:–199 / 2019
लिलाधर बनाम कन्हीराम आदि
निर्णय दिनांक:– 17.11.2021

लाने ले जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाने के लिए घर तक वाहन नहीं ले जा सकता, आवेदक के परिवार के बच्चे स्कूल जात है तो उनको भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनको पैदल जाने के लिए भी पगडंडी नहीं है। तथा फसल के समय अगर कुए की विद्युत मोटर जल जाए या अन्य कोई खराबी होने पर कुए तक मोटर निकालने के लिए लोरिंग मशीन नहीं ले जा सकते, आवेदक के खेत तक रास्ता न होने पर भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए आवेदक को अपने खेत खसरा नम्बर 217/52 रकबा 0.63 है., में बने मकानो व कुए पर आने जाने के लिए 14 फीट का रास्ता की अति आवश्यकता है।

4. यह कि आवेदक के खेत खसरा नम्बर 217/52 रकबा 0.63 है., के पश्चिम दक्षिणी दिशा के कोने से अनावेदक सं. 1 के खेत खसरा नम्बर 215/52 व अनवेदक सं. 2 लगायत 12 के खेत खसरा नम्बर 237/52 मे से होकर एक आम कटानी रास्ता पश्चिम–पूर्व की ओर जाता है इस रासते से आवेदक के खेत खसरा नम्बर 217/52 रकबा 0.63 है., में बने मकानों व कुए तक सबसे कम दुरी का रास्ता आवेदक को दिलवाया जा सकता है। जो आवश्यक व न्यायसंगत है जिसके लिए नियमानुसार बदले की भूमि या डीएलसी द्वारा तय की गई कीमत की दोगुनी राशि जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे आवेदक देने के लिए तैयार है।

5. यह कि अनावेदक के खेत खसरा नम्बर 213/52 व 215/52 के मध्य स्थित रास्ते से आवेदक के खेत खसरा नम्बर 217/52 रकबा 0.63 है., में बने मकनो तक आने जाने के लिए दिए जाने वाले 14 फीट रास्ते का प्रस्तावित नक्शा आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। जो सबसे कम दुरी का है। चुंकि आवेदक के खेत खसरा नम्बर 217/52 के पश्चिम दिशा में खेत खसरा नम्बर 216/52 अनावेदक सं. 1 का है तथा खेत खसरा नम्बर 214/52 अनावेदक सं. 2 लगायत 12 का है जिनके खेत में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। इसलिए दोनो खेतो की सीमा के दोनो तरफ 7–7 फीट का रास्ता कायम किया जाता है तो अनावेदकगण को भी उनके खेतों में आने जाने के लिए सुगमता रहेगी व रास्ता उपलब्ध हो सकेगा। जिसके लिए आवेदक ने अनावेदकगण से बात की थी जो पूर्णतया सहमत है।

6. यह कि नक्शा ट्रेश गए आम कटानी रास्ते के अलावा आवेदक के खेत के नजदीक अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा आवेदक को अपने मकानों में जाने के लिए भी कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है इसलिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

7. यह कि आवेदक के पास खेत खसरा नम्बर 217 / 52 रकबा 0.63 है., मे बने मकानों में आने जाने के लिए कोई रास्ता ना होने से उसे भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए रास्ता चाहने के लिए यह आवेदन पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

8. यह कि आवेदक का खेत व मकान खसरा नम्बर 217 / 52 मे है जो ग्राम मदनसर मे स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान को आवेदन कि सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र से अनुतोष चाहा कि—

(क). कि वाके ग्राम मदनसर स्थित भूमि खसरा नम्बर 217 / 52 रकबा 0.63 है., मे बने मकानो व कुए पर जाने के लिए खेत खसरा नम्बर 213 / 52, 214 / 52, 215 / 52, 216 / 52 की सीमा के दोनो तरफ 7—7 फीट कुल 14 फीट का रास्ता जिसका प्रस्ताव व नजरी नक्शा संलग्न है के अनुसार दिया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शा ट्रेस में तरमीम कर मौके पर रास्ता कायम कर सीमा चिन्ह भी कायम किए जाने की कृपा करे।

(2). प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल हुई। अप्रार्थी सं. 1 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार लखेरा ने वकालतनामा पेश कर इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
अनावेदकगण सं. 1 लगायत 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र रहा कि — आवेदक के पास खेत खसरा नम्बर 466 / 183 मे आने जाने के लिए पुख्ता रास्ता नहीं है। अनावेदकगण के खेत खसरा नम्बर 183 व खसरा नम्बर 465 / 183 के उतर मे आम रास्ता है। जिसकी पश्चिम सीमा के सहारे आवेदक के खेत खसरा नम्बर 466 / 183 तक 14 फीट का रास्ता दिया जाता है तो अनावेदकगण / जवाबदाता को कोई आपति नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया है के अनुसार आवेदक के खेत 466 / 183 तक रास्ता कायम किया जाता है जवाबदाता / अनावेदकगण को कोई आपति नहीं है। तथा अनावेदकगणा इस रास्ते की भूमि के लिए कोई प्रतिफल या बदले की भूमि नहीं लेना चाहते है क्योकि अनावेदकगण ने अन्य भूमियों आवेदक से रास्ता लिया है जो बिना प्रतिफल के लिए है इसलिए अनावेदक / जवाबदाता अपनी भूमि खसरा नम्बर 183, 465 / 183, में 14 फीट का रास्ता आवेदक के खेत खसरा नम्बर 466 / 183 तका देने के लिए सहमत है। जवाब दाता को कोई आपति नहीं है। इसके बदले अनावेदकगण, आवेदक से कोई प्रतिफल नहीं लेना चाहते है।

(3). प्रार्थी की ओर से में दस्तावेज में नकल नक्शा किस्तवार, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075—78, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075—78, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075—78, प्रस्तुत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:16 IST
Reason: SelfAttested

(4). तहसीलदार बुहाना की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 02.02.2021 रही कि– मुकदमा नम्बर 199 / 2019 बउनवानी लीलाधर आदि बनाम कन्हीराम आदि में समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक 404–14 व 403–427 दिनांक 27.01.2021 द्वारा जारी किए गए थे जिनकी तामिल विधिवत रूप से करवायी गई व पक्षकारो की उपस्थिती में मौका मुआयना किया गया तथा विस्तृत तथ्यात्मक रिर्पोट तैयार की गई। रास्ते का प्रस्ताव तैसार किया गया। रास्ते का प्रस्ताव तैयार किया गया। जिसका नजरी नक्शा तैयार किया गया। जो निम्नानुसार है। तहसीलदार बुहाना की ओर से पेश नजरी नक्शा निम्नानुसार है। बिन्दु सं. ए से बी तक खसरा नम्बर 213 / 52 मे से लम्बाई 62 मीटर चौड़ाई 2 कुल क्षेत्रफल 124 मीटर, बिन्दु सं. जे से के तक खसरा नम्बर 215 / 52 मे से लम्बाई 64 मीटर चौड़ाई 2 कुल क्षेत्रफल 128 मीटर, बिन्दु सं. के से एल तक खसरा नम्बर 215 / 52 मे से लम्बाई 60 मीटर चौड़ाई 2 कुल क्षेत्रफल 120 मीटर, बिन्दु सं. बी से सी तक खसरा नम्बर 52 मे से लम्बाई 2 मीटर चौड़ाई 2 कुल क्षेत्रफल 4 मीटर, बिन्दु सं. डी से ई तक खसरा नम्बर 214 / 52 मे से लम्बाई 60 मीटर चौड़ाई 2 कुल क्षेत्रफल 120 मीटर, बिन्दु सं. ई से एफ तक खसरा नम्बर 216 / 52 मे से मे से लम्बाई 30 मीटर चौड़ाई 2 कुल क्षेत्रफल 60 मीटर, बिन्दु सं. जी से एच तक खसरा नम्बर 216 / 52 मे से लम्बाई 14 मीटर चौड़ाई 4 कुल क्षेत्रफल 56 मीटर, बिन्दु सं. एफ से जी तक खसरा नम्बर 51 मे से लम्बाई 16 मीटर चौड़ाई 4 कुल क्षेत्रफल 64 मीटर, बिन्दु सं. एच से आई तक खसरा नम्बर 217 / 52 मे से लम्बाई 80 मीटर चौड़ाई 4 कुल क्षेत्रफल 320 मीटर, बिन्दु सं. एल से एम तक खसरा नम्बर 218 / 52 मे से लम्बाई 30 मीटर चौड़ाई 2 कुल क्षेत्रफल 60 मीटर कुल क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बनता है। उक्त मौका रिर्पोट उपस्थित पक्षकारों ओर मौतबिरानो को पढकर सुनाई गई। मौके पर उपस्थित पक्षकार लीलाधर पुत्र बनवारी लाल, बलवन्त पुत्र बाबुलाल, बर्फि पत्नी बाबुलाल, कन्ही राम पुत्र जोधाराम ने हस्ताक्षर किए।

(5). **बहस सुनी गई।**

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। **(1).** वाके ग्राम मदनसर तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 217 / 52 रकबा 0.63 है., के एकल खातेदार काश्तकार आवेदक दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अपनी भूमि पर काबिज एवं आबाद है। **(2).** आवेदक की भूमि ख0 न0 217 / 52 के अनावेदकगण के खेत खसरा नम्बर 183 व खसरा नम्बर 465 / 183 के उतर मे आम रास्ता है। जिसकी पश्चिम सीमा के सहारे आवेदक के खेत खसरा नम्बर 466 / 183 तक 14 फीट का रास्ता दिया जाता है तो अनावेदकगण / जवाबदाता को कोई आपति नहीं है। अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट कृष्ण कुमार लखेरा उपस्थित हुए। इकवालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। **(3).** अप्रार्थीगण ने अपने लिखित जवाब में रास्ता दिए जाने का विवरण दिया है। सहमती दी है। उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश किया है। अनावेदकगण ने बिना प्रतिकार / मुआवजा / प्रतिफल के रास्ता दिए जाने पर सहमती दी है। अर्थात मुआवजा निर्धारित नहीं किया जाना है। तहसीलदार बुहाना ने भी अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

रिपोर्ट में रास्ता दिए जाने योग्य बताया है। रास्ते हेतु मौका रिर्पोट दिनांक 02.02.2021 मय नजरी नक्शा पेश किया है। **(5).** न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है। क्षति पुर्ति के बिन्दुओं पर सुना गया। पक्षकारान में सहमति बनी है। न्यायालय मे अप्रार्थीगणा ने बिना मुआवजा/प्रतिफल के रास्ता दिए जाने की लिखित सहमती दी है।

—::आदेश::—

न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम वाके ग्राम [redacted] स्थित भूमि खसरा नम्बर 217/52 रकबा 0.63 है. तक तहसीलदार बुहाना की फर्द मौका रिर्पोट व नजरी नक्शा अनुसार भूमि लम्बाई के समानुपाति चौड़ाई में जो लगभग 4 मीटर चौड़ाई का बनता है, प्रार्थी को रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में '' गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप मे दर्ज की जावे। नक्शा ट्रेस प्रदर्श— ''अ'' निर्णय का भाग रहेगा। बिना प्रतिकार/प्रतिफल के रास्ता दिए जाने को अनावेदकगण ने अपने लिखित अभिकथनों में स्वीकार किया है। तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रिकॉर्ड में अमल की दृष्टि से रास्ते का रकबा पूर्ण एयर में रखा गया है। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना की ओर से पेश नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक **17-11-2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:16 IST
Reason: SelfAttested